

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

प्रेषक,

जय सिंह, भा० प्र० से०
निदेशक,
भू-अभिलेख एवं परिमाण,
बिहार, पटना।

सेवा में,

उप निदेशक,
बिहार सर्वेक्षण कार्यालय,
गुलजारबाग, पटना - 7
सहायक निदेशक,
भू-अभिलेख एवं परिमाण
बिहार, पटना।

विषय :- विपत्र कोड - 40-2029001030001 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में निधि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि आपके कार्यालय व्यवहारार्थ वेतनादि मद से भिन्न मद में वित्तीय वर्ष 2022-23 के अन्तर्गत निम्न ईकाई कोड के अन्तर्गत निम्न रूप में राशि आवंटित की जाती है :-

क्र०सं०	विषय शीर्ष/ ईकाई कोड	बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना	भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय	योग
1	2	3	4	5
1	01 01 वेतन	-	6,00,000	600000
2	01 03 जी०या० भ०	-	2,28,000	228000
3	01 04 म०क०भ०	-	96,000	96000
4	01 05 परिवहन भ०	-	60,000	60000
5	01 06 चिकित्सा भ०	-	16,000	16000
6	01 07 अन्य भत्ता	3,00,000	-	300000
7	06.01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	73,000	-	73000
8	13 02 वाहन ईंधन एवं रख-रखाव	-	50,000	50000
9	13 03 दुरभाष	-	10,000	10000
10	13.10 भाड़े की गाड़ी का भूगतान	1,10,000	-	110000
11	21 01 सामग्री एवं पूर्तियाँ	-	15,00,000	1500000
12	52 01 मशीने एवं उपस्कर	-	10,00,000	1000000
	कुल :-	4,83,000	35,60,000	40,43,000

(चालीस लाख तेतालीस हजार रुपये मात्र)

/56487/2023

2. यह आवंटन वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक - 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जाता है।
3. अर्नुरोध है कि व्यय को आवंटन के अन्तर्गत रखते हुए राशि की निकासी की जाय।
4. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों को मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/इकाई कोड/मॉग संख्या -40 एवं विपत्र कोड 40-2029001030001 अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से करने होंगे ताकि अनियमितता की संभावना नहीं रहे।
5. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
6. बिहार वित्तीय नियामवली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सकें।
7. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
8. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाणपत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
9. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को ही दी जा रही है।
10. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।
11. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

विश्वासभाजन

Signed by Jai Singh

Date: 25-02-2023 12:19:43

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
3. वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. श्रीमति सरिता कुमारी, प्रोग्रामर आई0टी0 कोषांग, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना को विभागीय वेबवार्ड पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।